

49/7
22/12/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर
बनाम विप्रार्थी
ग्राम पंचायत मारुड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती
राजस्व आवेदन संख्या- /2022 दिनांक- 22/12/22

364/2022 आदेश

तहसीलदार बाड़मेर की अनुशंषा के आधार पर ग्राम पंचायत मारुड़ी के ग्राम तनसिंहपुरा में बस स्टेण्ड व प्याऊ हेतु आवंटित भूमि खसरा संख्या 162/26 रकबा 32.06 बीघा किस्म गैर मु. गोचर में से रकबा 01.00 बीघा भूमि प्याऊ व बस स्टेण्ड निर्माण की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार तरमीम दुरुस्त की जाती है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाड़मेर, तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करे।


(समदरसिंह भाटी)


उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

दिनांक- 22/12/22

क्रमांक/रीडर/2022/ 4918-19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1 तहसीलदार बाड़मेर को पालनार्थ प्रेषित हैं।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मारुड़ी।


उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

